एस.टी.डी./STD 05278
V.C. 246223, 246330 (O)
V.C. 246224, 245209 (R)
फैक्स/Fax V.C. 246330 (O), 245209 (R)
Registrar 245957 (O), 246042 (R)
F.O. 246386 (O), 225958 (R)

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक /Ref. : लो०अ०वि०/सम्ब०/ 1416 2010 दिनाँक/Date : 25.11.2010

सेवा में,

प्रबन्धक,
जयशंकर कृपा महाविद्यालय,
सुन्डेहरा (प्रतापपुर) अम्बेडकरनगर ।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के पत्र संख्या- 3153/सत्तर-6-2010-2(44)/2010 दिनांक 30 अगस्त, 2010 द्वारा राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीनइतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है । महाविद्यालय द्वारा शासन/ विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

1. संस्था शासनादेश सं0 285 (/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निदेशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/ अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एव मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानो के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

भवदीय

सहा0 कुलसचिव (सम्ब0)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1. परीक्षा नियन्त्रक
2. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ ।
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

सहा0 कुलसचिव (सम्ब0)